



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 23.09.2024

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ आपरेशन कन्विकशन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरूप अलग-अलग 03 मामलों में कुल 03 अभियुक्तों को 5500/ रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित ।

विवरण –पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विकशन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग 03 मामलों में कुल 03 अभियुक्तों को 5500/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-72/21 धारा 279/337/338/427 भादवि के अभियुक्त रमाशंकर सिंह पुत्र रामसिंह निवासी पचनेही थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा को कुल 2500/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
2. थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0- 80/22 धारा 279/337/338 भादवि के अभियुक्त अवधेश त्रिवेदी विष्णुदत्त त्रिवेदी निवासी अजीतपारा थाना बिसण्डा जनपद बांदा को कुल 1500/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।
3. थाना चिल्ला पर पंजीकृत एनसीआर- 25/04 धारा 323/504/506 भादवि के अभियुक्त रामऔतार पुत्र कलुवा निवासी डिघवट थाना चिल्ला जनपद बांदा को कुल 1500/ रुपये के जुर्माने से दण्डित कराया गया ।